निर्णय न्यायालय श्री जवाहर लाल जैन आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर
09/2023

तारीख रजू
01.02.2023

तारीख निर्णय
02.03.2023

गुड्डी देवी वनाम् रमेशदास वगैरहा

1. गुड्डी देवी पुत्री प्रहलाददास पत्नि रामसहाय जाति दादूपंथी निवासी वजीरपुर हाल निवासी दादूपंथी मौहल्ला मलारना डूगर जिला सवाई माधोपुर।

--अपीलार्थी

वनाम

1. रमेश दास पुत्र कल्याण दास जाति दादूपंति निवासी नागाओं की छावनी पं. भवन के पीछे वजीरपुर जिला स.मा.
2. महेश दास पुत्र कल्याण दास जाति दादूपंति निवासी नागाओं की छावनी पं. भवन के पीछे वजीरपुर जिला स.मा.
3. सुरेश दास पुत्र कल्याण दास जाति दादूपंति निवासी नागाओं की छावनी पं. भवन के पीछे वजीरपुर जिला स.मा.
4. रतनी देवी पत्नि कल्याणदास जाति दादूपंति निवासी नागाओं की छावनी पं. भवन के पीछे वजीरपुर जिला स.मा.
5. इन्द्रा देवी पुत्री श्री प्रहलाद दास, स्वामी पत्नि शिवलाल जाति दादूपंथी निवासी वजीरपुर हाल निवासी सीतापुर तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।
6. शान्ति देवी पत्नि प्रहलाद दास, स्वामी जाति दादूपंथी निवासी दादूपंथी मौहल्ला मलारना डूँगर सवाई माधोपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वजीरपुर।
8. उपपंजीयक वजीरपुर।
9. ग्राम पंचायत वजीरपुर जरिये सरपंच पंचायत समिति गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
10. सचिव, ग्राम पंचायत वजीरपुर पंचायत समिति गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

--रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत वजीरपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1576 ग्राम वजीरपुर तहसील गंगापुर बाबत् दिनांक 10.4.2012

उपस्थितिः- श्री संजय शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
श्री मो0 इस्लाम एडवोकेट रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 4 की ओर से

निर्णय

वकील अपीलार्थी ने नामान्तकरण संख्या 1576 वाके ग्राम वजीरपुर तहसील गंगापुर दिनांक 10.4.2012 जो ग्राम पंचायत वजीरपुर द्वारा तस्दीक किया गया है के विरूद्ध उक्त अपील पेश की जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रमेशदास की ओर से एक

ws —

प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थी द्वारा बिना किसी आधार के गलत तथ्यों पर अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता व 4 के पति के मरने के बाद उनकी विरासत सही प्रकार से खोली गई हे इसलिए उक्त अपील चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। अपील इसी स्टेज पर निरस्त होने योग्य है।

वकील अपीलार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी विरासत के आधार पर भूमि में अधिकार रखती है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के विरूद्ध नामान्तकरण भरा या तस्दीक किया गया है इसलिए हस्तगत अपील निराधार है तथा इसी स्टेज पर निरस्त होने योग्य है। इस सबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी 2018(2)पेज1344, 2017(1) सीजे.(सी.आई.वी)(राज.)पेज655 पेश किया है तथा अपील खारिज करने का निवेंदन किया है।

वकील अप्रार्थी/अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी ने अपील सही पेश की है अपील के साथ जो दस्तावेज पेश किये है उनके आधार पर अपीलार्थी विरासत के आधार पर विवादित भूमि में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है इसलिए नामान्तकरण निरस्त किया जा कर विरासत के आधार पर उसके नाम नामान्तकरण तस्दीक किया जावे तथा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली व उसमें प्रस्तुत नामान्तकरण व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मूल नामान्तकरण का भी अवलोकन किया गया। अपील में अपीलार्थी द्वारा जो सजरा पेश किया है उसकी पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली में कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जिससे यह साबित हो सके की अपीलार्थी का उक्त विरासत या विवादित भूमि से कोई सम्बंध हो इसलिए अपील को आगे चलाया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का संदर्भ भी यही है।

अतः प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थी इसी स्टेज पर खारिज किया जाना उचित समझता हूं।

आदेश

प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थी इसी स्टेज पर खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 02.3.2023 को सुनाया गया।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
उपजिलाकलेक्टर
वजीरपुर
वजीरपुर